राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2229981, E mail ID:cojsy.nhm@gmail.com

क्रमांक : F (14) NHM/RCH/MH/M.RajShree.Yojana/Part/ 468   दिनांक : 26.05.2017

समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल,
संयुक्त निदेशक (समस्त जोन),
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी–जिला/उप जिला/सैटेलाईट अस्पताल,
समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक (एनएचएम),
समस्त जिला लेखा प्रबंधक (एनएचएम),
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी – सिटी डिस्पेन्सरी,
– समस्त जिले, राजस्थान।

विषय : "मुख्यमंत्री राजश्री योजना" के द्वितीय किश्त के भुगतान बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा (124) के अनुसार राज्य में 01 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। योजना के प्रावधानानुसार बालिका जन्म के एक वर्ष पश्चात लाभार्थी को योजना का द्वितीय परिलाभ दिया जाना है। इसी क्रम में दिनांक 01.06.2017 से राजश्री योजना का द्वितीय परिलाभ लाभार्थियों को दिया जाना है। अतः जिन केसेज में लाभार्थी को राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ दिया जा चुका है, साथ ही बालिका के एक वर्ष तक का उम्रानुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है (पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर टीकाकरण की लाईनलिस्टिंग की चुकी है) एवं बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने पर, लाभार्थी को राजश्री योजना का द्वितीय परिलाभ दिया जावेगा।

<u>राजश्री योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त के भुगतान के संबंध में दिशा–निर्देश</u> : –

लाभार्थी को राजश्री योजना का द्वितीय परिलाभ जारी किये जाते समय निम्न बिन्दुओं को भी ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जानी है : –

1. **दिनांक 01.06.2017 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय परिलाभ लाभार्थियों को दिया जाना है जो कि वर्तमान में शुभलक्ष्मी योजना के अनुरूप ही ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के तहत ही दिया जावेगा।**
2. ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया के तहत जिन केसेज में (पीसीटीएस आईडी), ऑनलाईन प्रविष्टि के दौरान लाभार्थी का बैंक खाता संख्या विवरण गलत ईन्द्राज किये जाने अथवा अन्य किसी कारण से बैंक द्वारा पेमेन्ट रिजेक्ट होने की स्थिति में, ओजस सॉफ्टवेयर पर पेमेन्ट स्टेटस में Return By RBI अथवा Invalid Account Number का स्टेटस प्रदर्शित होने पर लाभार्थी को भुगतान संबंधित संस्थान द्वारा रेखांकित चैक के माध्यम से जारी किया जाना है। चैक द्वारा जारी किये जा रहे भुगतान में उल्लेखित राशि, ओजस सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित राशि जितनी ही होगी। इस प्रकार के केसेज में लाभार्थी को भुगतान जारी करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब ना किया जावें।
3. जिन LAMA/Abscond केसेज में लाभार्थी को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ/किश्त राज्य स्तर से ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के पश्चात संबंधित संस्थान स्तर से चैक द्वारा जारी किया गया है, ऐसे केसेज में लाभार्थी को द्वितीय किश्त का भुगतान योजना के प्रावधानानुसार एवं दिये गये प्रथम परिलाभ/किश्त के चैक की ऑनलाईन प्रविष्टि-ओजस सॉफ्टवेयर में करते हुए, द्वितीय परिलाभ/किश्त का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही जारी किया जायेगा।
4. विशेष परिस्थितियों में जैसे : घूमन्तु जाति से संबंधित महिलाओं का संस्थागत प्रसव हुआ एवं लाभार्थी द्वारा बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं कराया था, ऐसे केसेज में लाभार्थी को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ/किश्त का भुगतान संबंधित संस्थान स्तर से रेखांकित चैक के माध्यम से किया

गया है, ऐसे केसेज में लाभार्थी को द्वितीय किश्त का भुगतान योजना के प्रावधानानुसार एवं दिये गये प्रथम परिलाभ/किश्त के चैक की ऑनलाईन प्रविष्टि ओजस सॉफ्टवेयर में करते हुए, द्वितीय परिलाभ/किश्त का भुगतान ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन ही जारी किया जायेगा।

5. **जिन चिकित्सा संस्थानों पर ऑफलाईन भुगतान किये जाने की स्वीकृति राज्य मुख्यालय से पूर्व में दी गई हो, के अतिरिक्त किसी भी चिकित्सा संस्थान द्वारा योजना की द्वितीय किश्त का भुगतान राज्य मुख्यालय की अनुमति के बिना ऑफलाईन/चैक द्वारा जारी नहीं किया जा सकेगा।**
6. दिनांक 15.05.2017 के पश्चात से राजश्री योजना के समस्त भुगतान भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही दिये जाने है। अतः योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ भी भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही दिये जायेंगे। इस प्रकार द्वितीय परिलाभ भी उन्हीं केसेज में दिया जावेगा, जिन केसेज में (पीसीटीएस आईडी पर) भामाशाह कार्ड विवरण प्रविष्ट/अपडेटेड किया जा चुका है। इस हेतु पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर लाईनलिस्ट एन्ट्री मैन्यू में उपलब्ध "अपडेट आधार डिटेल्स्" के द्वारा लाभार्थी का भामाशाह आईडी को अपडेट किया जा सकता है।
7. दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 14.08.2016 तक की अवधि में सीएचसी एवं उच्चतर संस्थानों पर बालिका जन्म वाले केसेज में, लाभार्थी को प्रथम परिलाभ चैक द्वारा जारी किया गया है एवं जारी किये गये चैक की प्रविष्टि ओजस पर ऑनलाईन ईन्द्राज करते हुए तथा बालिका के एक वर्ष तक का उम्रानुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है (लाईनलिस्टिंग की चुकी है) एवं बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने पर व भामाशाह कार्ड विवरण अपडेट होने पर, लाभार्थी को द्वितीय परिलाभ/किश्त का ऑनलाईन भुगतान दिया जा सकेगा।
8. दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 12.12.2016 तक की अवधि में पीएचसी, उपकेन्द्र एवं जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर एवं जिला स्तर पर Other Government Institutes पर बालिका जन्म वाले केसेज में, लाभार्थी को प्रथम परिलाभ चैक द्वारा जारी किया गया है एवं जारी किये गये चैक की प्रविष्टि ओजस पर ऑनलाईन ईन्द्राज करते हुए तथा बालिका के एक वर्ष तक का उम्रानुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है (लाईनलिस्टिंग की चुकी है) एवं बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने पर व भामाशाह कार्ड विवरण अपडेट होने पर, लाभार्थी को द्वितीय परिलाभ/किश्त का ऑनलाईन भुगतान दिया जा सकेगा।
9. दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 31.05.2017 तक की अवधि में सिटी डिस्पेन्सरी पर बालिका जन्म वाले केसेज में, लाभार्थी को प्रथम परिलाभ चैक द्वारा जारी किया गया है एवं जारी किये गये चैक की प्रविष्टि ओजस पर ऑनलाईन ईन्द्राज करते हुए तथा बालिका के एक वर्ष तक का उम्रानुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है (लाईनलिस्टिंग की चुकी है) एवं बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने पर व भामाशाह कार्ड विवरण अपडेट होने पर, लाभार्थी को द्वितीय परिलाभ/किश्त का ऑनलाईन भुगतान दिया जा सकेगा।
10. बिन्दु संख्या 3, 4, 6, 7, 8 व 9 के अनुसार कार्यवाही करते हुए/ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए, किसी भी केस में किसी भी ओजस संबंधित संस्थान द्वारा लाभार्थी को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की द्वितीय किश्त का ऑनलाईन भुगतान दिया जा सकेगा।
11. द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान हेतु ओजस सॉफ्टवेयर में राजश्री योजना के होमपेज के मैन्यू बार में, वेरिफिकेशन मैन्यू/विकल्प उपलब्ध है। जिसमें वेरिफिकेशन मैन्यू को चयन करने पर द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान हेतु (Entry for IInd Installment, Entry for IInd Installment through PCTS, Verification of IInd Installment) विकल्प उपलब्ध होंगे जो कि वर्तमान में शुभलक्ष्मी योजना के द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने हेतु समान यूटीलिटी प्रोसेस है। (पूर्व पत्रांक F (12) NHM/RCH/JSY/OJAS/2016/257 दिनांक 13.12.2016)
12. ओजस सॉफ्टवेयर में राजश्री योजना के होमपेज के मैन्यू बार में, चैक डिटेल्स मैन्यू/विकल्प उपलब्ध है जिसमें RSY – Ist Installment Paid by NEFT/RTGS की नई यूटीलिटी उपलब्ध कराई गई है। चूंकि कुछ संस्थानों द्वारा, पूर्व में ऑफलाईन भुगतान प्रक्रिया के तहत, लाभार्थी को प्रथम परिलाभ/किश्त का भुगतान चैक द्वारा जारी ना करते हुए, संस्थान स्तर से लाभार्थियों को NEFT/RTGS के द्वारा भुगतान जारी किया गया था। ऐसे केसेज में NEFT/RTGS के द्वारा जारी किये गये भुगतान में प्रत्येक केस में इस यूटीलिटी के अन्तर्गत चैक नम्बर की जगह URN Number को प्रविष्ट किये जाने का विकल्प उपलब्ध है।
13. ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से राजश्री योजना की द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने से पूर्व सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि महिला (लाभार्थी) द्वारा बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के जीवित होने का प्रमाण पत्र, पूर्व

में राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ संबंधित संस्थान से प्राप्त कर लिया है के संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि (बैंक पासबुक की छाया प्रति), बालिका के एक वर्ष पूर्ण होने पर उम्र अनुसार पूर्ण टीकाकरण किया जा चुका है का प्रमाण (ममता कार्ड/टीकाकरण कार्ड) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्तानुसार किसी भी केस में रिकोर्ड/दस्तावेज को जॉचे बिना ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान की अनुशंषा (ऑनलाईन केस सेन्क्शन) नहीं की जावे। किसी भी प्रकार के गलत/दोहरे ऑनलाईन भुगतान की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ओजस संस्थान के प्रभारी अधिकारी की होगी।

14. **दिनांक 01.06.2017** से लाभार्थियों को राजश्री योजना की द्वितीय किश्त का भुगतान योजना के प्रावधान अनुसार किया जाना है, अतः सभी राजकीय चिकित्सा संस्थान/स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके अधिनस्थ रहने वाले लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का ऑनलाईन भुगतान समय पर व्यक्तिशः रूचि लेते हुये करवाया जावें, चाहे लाभार्थी का प्रसव अन्य संस्थान पर राज्य में कही पर भी हुआ हो, जबकि लाभार्थी द्वारा राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ प्राप्त कर लिया हो। राज्य के समस्त ओजस संबंधित चिकित्सा संस्थान प्रभारियों की यह जिम्मेदारी है कि राजश्री योजना की द्वितीय किश्त का ऑनलाईन भुगतान सभी संस्थानों द्वारा जारी किया जाये, चाहे लाभार्थी का प्रसव अन्य संस्थान पर राज्य में कही पर भी हुआ हो, लाभार्थी को ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जावें।

संलग्न : प्रमाण पत्र (प्रपत्र "अ" व "ब")

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि., स्वा. एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकि., स्वा. एवं प.क. विभाग, एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक आईसीडीएस, निदेशालय – आईसीडीएस, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एवं निदेशक आई.ई.सी., जयपुर।
6. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक आरसीएच, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. निदेशक वित्त, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर/वित्तीय सलाहकार, प.क.।
10. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक (मातृ–स्वास्थ्य), मुख्यालय, जयपुर।
12. डेमोग्राफर एवं मूल्यांकन अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
13. राज्य वित्त प्रबंधक/राज्य लेखा प्रबंधक–एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
14. सलाहकार जेएसवाई/नोडल अधिकारी जेएसवाई–एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
15. सलाहकार एनयूएचएम – मुख्यालय, जयपुर।
16. समस्त डीएनओ/डीएसी/जिला आईईसी समन्वयक – एनएचएम, समस्त जिले।
17. समस्त जिला नोडल अधिकारी (डीएमएण्डईओ)–एनएचएम।
18. समस्त एनयूएचएम, जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाई – समस्त जिले।
19. समस्त खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त खण्ड लेखाकार/बीएचएस–एनएचएम, सूचना सहायक/संगणक, खण्ड मुख्यालय, समस्त जिले।
20. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को, समस्त सम्बन्धितों को ई–मेल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र–अ

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त के लिये आवेदन एवं प्रमाण पत्र

आवेदन पत्र

मैं (महिला/लाभार्थी का नाम) .... प्रमाणित करती हूँ कि मेरी बेटी जिसका जन्म दिनांक .... को .... संस्थान पर हुआ था दिनांक .... को मेरी बेटी एक वर्ष की हो गई है। मेरी बेटी के प्रथम जन्म दिवस पर जीवित होने के साथ उसे एक वर्ष तक के उम्रानुसार सभी टीके लगवा दिये गये है। (ममता कार्ड/टीकाकरण कार्ड संलग्न है)

मेरे द्वारा मेरी बेटी के जीवित जन्म पर देय राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ प्राप्त कर लिया गया है, जिसके बैंक पासबुक की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।

प्रार्थिया के हस्ताक्षर / अगुंठे का निशान

नाम :
पता :
मोबाईल नं. :

प्रमाण पत्र

मैं .... पद..(पदस्थापन स्थान) ....प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी व रिकोर्ड के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर

(एएनएम/पार्षद/प्रमारी डिस्पेन्सरी/
प्रभारी शहरी चिकित्सा संस्थान/
चिकित्सा अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी)

नाम :
पदस्थापन स्थान :
दिनांक :

<u>प्रपत्र–ब</u>

<u>मुख्यमंत्री राजश्री योजना की ऑनलाईन द्वितीय किश्त जारी किये जाने हेतु सत्यापन पत्र</u>

राजकीय चिकित्सा संस्था का नाम .... **खण्ड** .... **जिला** ....

प्रमाणित किया जाता है कि महिला/पति का नाम .... पीसीटीएस आईडी .... का प्रसव दिनांक .... को .... राजकीय चिकित्सा संस्थान अथवा जेएसवाई में अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ था अथवा इसी चिकित्सा संस्थान पर हुआ है।

पीसीटीएस आईडी के द्वारा महिला के केस विवरण को ओजस/पीसीटीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से महिला के प्रसव का स्थान, प्रसव की दिनांक को मिलान कर लिया गया है। टीकाकरण कार्ड द्वारा बालिका के पूर्ण टीकाकरण की प्रविष्टि जाँच ली गई है। लाभार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेज (बैंक पासबुक की छाया प्रति) के आधार पर/ओजस सॉफ्टवेयर से प्राप्त भुगतान विवरण के आधार पर, लाभार्थी के द्वारा राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ प्राप्त कर लिया गया है, के स्टेटस को जॉच लिया गया है।

(परिलाभ महिला/लाभार्थी के स्वयं के बैंक खाते में ही स्थानान्तरित किया जावें, यदि महिला/लाभार्थी द्वारा बैंक खाता विवरण परिवर्तित किया जा रहा है तो संबंधित संस्थान प्रभारी/नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि महिला/लाभार्थी द्वारा संशोधित कराये जा रहे बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक की छाया प्रति उपलब्ध करवा दी गई है एवं ओजस पर ऑनलाईन भुगतान प्रक्रिया को प्रोसेस करने वाले प्राधिकृत अधिकारी/नामित अधिकारी द्वारा इसकी सही सही जॉच कर ली गई है।)

प्राधिकृत अधिकारी/नामित अधिकारी

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम :

चिकित्सा संस्थान का नाम :

दिनांक :

<u>नोट :</u> **'प्रपत्र–अ'** में उल्लेखित महिला/लाभार्थी के राजश्री योजना की द्वितीय किश्त के ऑनलाईन भुगतान किये जाने हेतु, जिस संबंधित ओजस संस्थान से राजश्री योजना की द्वितीय किश्त का ऑनलाईन भुगतान प्रोसेस किया जा रहा है, उस राजकीय चिकित्सा संस्थान के द्वारा **'प्रपत्र–ब'** भरा जायेगा।